COLLEGE OF AGRICULTURE – PEETHAMPURI

(Sri Karan Narendra Agriculture University, Jobner)

कृषि महाविद्यालय पीथमपुरी, नीमकाथाना, जिला–सीकर (राज.)– 332 708

Dr. S.K. Khandelwal
DEAN

Email: dean.coapeethampuri@sknau.ac.in **M: 9549692964**

No. F. ( )/Farm/COAPP/2026/ 1025 Date: 10/06/2026

खुली निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कृषि महाविद्यालय, पीथमपुरी (नीम का थाना) में 10 हैक्टेयर भूमि पर व्यवसायिक वर्षा आधारित खेती के लिए इच्छुक फर्मो/सेवाप्रदाता संस्थाओं/कृषकों जिनके पास आधार कार्ड हो निर्धारित प्रपत्र मे दिनांक 18.06.2026 को प्रातः 11:00 बजे तक सीलबन्द निविदाएँ आमन्त्रित की जाती है। आमंत्रित निविदा उसी दिन दोपहर 12:30 बजे निविदादाताओं के समक्ष कृषि महाविद्यालय की निविदा समिति द्वारा खोली जावेगी। निविदा प्रपत्र एवं निविदा की सभी शर्ते कार्यालय दिवस मे निविदा शुल्क रूपये 500/– कृषि महाविद्यालय, पीथमपुरी (नीम का थाना) के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक या नगद भुगतान (जोकि Dean College of Agriculture Peethampuri के नाम देय होगा) करना होगा। निविदा की विस्तृत/सम्पूर्ण जानकारी www.sknau.ac.in एवं sppp.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते है। निविदा को सम्पूर्ण अथवा उसके किसी भाग को बिना किसी कारण बताए निरस्त करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

निविदा की शर्ते :–

1 इच्छुक व्यक्ति या फर्म महाविद्यालय में निर्धारित प्रपत्र में अपना व महाविद्यालय का हिस्सा भरकर सीलबन्द लिफाफे में निविदा जमा करवा सकते है।

2 सफल हिस्सेदार को 10000/– रूपये अमानत राशि जमा करवानी होगी।

3 इच्छुक व्यक्ति या फर्म को आधार कार्ड व बैंक के विवरण की स्वसत्यापित प्रति देनी होगी।

4 बुवाई से लेकर फसल थ्रेसिंग एवं गोदाम तक तोलकर रखवाने तक की सभी प्रक्रियों में लगने वाले श्रमिकों की आपूर्ति व्यय हिस्सेदार द्वारा वहन की जावेगी।

5 ट्रैक्टर सम्बन्धित काय (डिस्क प्लाउ, हैरो, सीड ड्रिल मय कल्टीवेटर, स्प्रेयर मशीन एवं बुवाई) महाविद्यालय द्वारा किया जावेगी। इसके बाद के सभी खर्चे (मजदूरी एवं ट्रैक्टर सम्बन्धित कार्य जैसे थ्रैसर) हिस्सेदार द्वारा वहन किये जायेगे।

6 बुवाई के दौरान एवं फसल वृद्धि के दौरान लगने वाले बीज व बीजोपचार खाद एवं उर्वरक, खरपतवारनाशी, फंफूदनाशक, कीटनाशक, कल्चर इत्यादि की आपूर्ति हिस्सेदार द्वारा की जायेगी।

7 सिंचाई की व्यवस्था हिस्सेदार को ही करनी होगी। महाविद्यालय द्वारा सिंचाई की सुविधा देय नही होगी।

8 व्यवसायिक फसलों में आवारा पशुओं द्वारा नुकसान न हो। इस हेतु निगरानी/चौकीदारी/सुरक्षा दिन व रात में करनी होगी। फसल की निगरानी स्वयं हिस्सेदार को करनी होगी।

9 फार्म पर कृषि कार्यो के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना होने, सांप काटने, बिजली से अन्य किसी उपकरणों से या लापरवाही से दुर्घटना होने पर महाविद्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा पूर्ण जिम्मेदारी हिस्सेदार की होगी।

10 फसल कटाई के मामलों में कटी हुई फसलों को कहां इकट्ठा करना है व कितने ढेर बनाने है इसके लिये फार्म मैनेजर व फार्म प्रभारी से सम्पर्क करना होगा। थ्रेसिंग का कार्य कार्यालय समय में किया जावेगा।

11 फसल की थ्रेसिंग के पश्चात् साफ किये फसल उत्पादन को बोरियों में भरकर फार्म मैनेजर/फार्म प्रभारी द्वारा बताये अनुसार तोलकर गोदाम में बोरियों की धांग हिस्सेदार को लगानी होगी। वजन तोलते समय नमी एवं कचरे का 2 प्रतिशत काटा जावेगा।

12 फसलों की थ्रेसिंग के लिए थ्रेसर व ट्रैक्टर व डीजल निविदादाता द्वारा वहन करना होगा व लेबर निविदादाता के होंगे।

13 कटाई के बाद फसलों को इकट्ठा करने एवं थ्रेसिंग के बाद फसल उत्पादन को खलिहान से गोदाम तक लाने के लिये ट्रैक्टर ट्रॉली महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाई जावेगी।

14 आवास की व्यवस्था हिस्सेदार को ही करनी होगी। महाविद्यालय द्वारा कोई सुविधा देय नही होगी।

15 हिस्सेदार द्वारा बुवाई, सिंचाई, खरपतवार नियंत्रण, कीट एवं बीमारियों के पेस्टिसाइड का छिडकाव, रोगिंग, फसल कटाई, फसल इकट्ठा करना, थ्रेसिंग, बोरियां भरना व बोरियों की गोदाम में धांग तथा फसल के दौरान लगने वाले श्रमिक निविदादाता को उपलब्ध करवाने होंगे।

16 प्रथम वरियता प्राप्त व्यक्ति/फर्म द्वारा कार्य नहीं संभालने पर हिस्सेदारी निरस्त करके अगली वरियता प्राप्त व्यक्ति/फर्म को कार्यादेश दिया जायेगा। अनुबन्ध की अवधि आदेश की तारीख से हिस्सेदारी खत्म होने तक मान्य होगा। अनुबन्ध की अवधि कार्य संतोषजनक होने पर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन पश्चात् आपसी सहमति अगले सीजन के लिये बढाई जा सकती है।

17 निविदादाता की कोई शर्त मान्य नहीं होगी तथा हिस्सेदार या उसके मजदूर फार्म पर मदिरा या अन्य नशा साम्रगी का उपयोग नहीं करेगे।

18 फार्म कार्य संतोषजनक नहीं होने पर अद्योहस्तरकर्ता को निविदा को निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार होगा तथा जमा अमानत राशि को जब्त कर लिया जावेगा। जो कि हिस्सेदार को मान्य होगा।

19 किसी भी प्रकार के विवाद के निपटारे हेतु विवाद कुलगुरू, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) के आर्बीटेशन में प्रस्तुत करना होगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

20 अमानत राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

21 इन सभी कृषि कार्यों हेतु किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान देय नहीं होगा।

22 फार्म पर मौसम परिस्थितियों/निर्देशानुसार फसलों या फसलों के क्षेत्रफल में बदलाव करने का अधिकार कृषि महाविद्यालय का होगा।

23 सफल निविदादाता को 100/— रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर समस्त शर्तों के तहत् कार्य करने व हिस्सेदार द्वारा लगाये गये श्रमिकों की पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं की होगी। ऐसा लिखकर दो गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर प्रस्तुत करना होगा।

24 हिस्सेदार सम्पूर्ण फसल प्राप्त होने तक श्रमिकों का भुगतान स्वयं करेगा।

25 अनुमोदित निविदादाता को कार्यादेश जारी किये जाने से पूर्व निविदा स्वीकृति के सात दिवस में राशि 100/— रू. नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध निष्पादित कराना होगा व 2 प्रतिशत अमानत राशि जमा करवानी होगी।

26 अन्तिम भुगतान हेतु हिस्सेदार को सभी श्रमिकों का कार्य का भुगतान कर देने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

27 किसी भी कृषि कार्य को मौसम के अनुसार रोकने व चालू करने का अधिकारी फार्म प्रभारी को होगा।

28 मुझे निविदा की उपरोक्त समस्त शर्ते मंजूर है तथा मैं उपरोक्त शर्तों पर कार्य करने हेतु सहमत हूँ।

29 सशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी।

10/06/2026

अधिष्ठाता

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. श्रीमान् वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
2. संयोजन/सदस्य, निविदा समिति, कृषि महाविद्यालय, पीथमपुरी।
3. लेखाशाखा, कृषि महाविद्यालय, पीथमपुरी।
4. सूचना पट्ट कृषि महाविद्यालय नोटिस बोर्ड या ग्राम पंचायत प्रीतमपुरी, थोई एवं कांवट।

10/06/2026

अधिष्ठाता

प्रपत्र 'स'

निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि हमनें जिन कार्यालय में कार्य किया है विगत 3 वर्षो में किसी भी कारण से हमें किसी भी सरकारी विभाग/उपक्रम/कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

हम यह भी घोषणा करते है कि हमें किसी भी न्यायालय द्वारा सामान प्रदायगी में कोई वाद लम्बित नहीं है तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

COLLEGE OF AGRICULTURE – PEETHAMPURI

(Sri Karan Narendra Agriculture University, Jobner)

कृषि महाविद्यालय पीथमपुरी, नीमकाथाना, जिला–सीकर (राज.)– 332 708

<u>निविदादाता द्वारा प्रतिशत हिस्सा का विवरण</u>

<u>वित्तीय निविदा प्रपत्र–1</u>

क्र. सं.	फसल	क्षेत्रफल (हैक्टेयर)	विवरण	निविदादाता द्वारा प्रस्तावित स्वंय का हिस्सेदारी प्रतिशत	महाविद्यालय का हिस्सेदारी प्रतिशत
1	मूंग	02.00	दाना		
2	ग्वार	03.00	दाना		
3	बाजरा	04.00	दाना		
4	मोठ	01.00	दाना		

नोटः– चारा उपज का सम्पूर्ण हिस्सा निविदादाता द्वारा रखा जायेगा।

हस्ताक्षर हिस्सेदार